(119)

न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक– /2019 द्वितीय अपील अपील-0456/2019/ग्वालियर/भू.रा.

वनमण्डल अधिकारी सामान्य वनमण्डल

प्र.क्र. पंजीयन पार्ट्स शासकीय कार्य जिला ग्वालियर .... अपीलार्थी

1-4-19

बनाम

9-4-2019

मैसर्स गीता स्टोन केशर एवं कम्पनी ग्वालियर

1-4-19

द्वारा प्रोपराईटर पवन शर्मा ......प्रतिअपीलार्थी

द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 44 (2) विरूद्व आदेश दिनांक–11.04.2017 प्रकरण क्रमांक–228/2016–17 अपील पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर जिसके द्वारा न्यायालय कलेक्टर जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक–16/2014–15/अ–74 वउनवान मैसर्स गीता स्टोर केशन बनाम वनमण्डलाअधिकारी में पारित आदेश दिनांक–31.01.2017 को यथावत रखा गया।

XXXIX(a)BR(H)-11

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील/0456/2019/ग्वालियर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-4-2019	प्रकरण का अवलोकन किया । यह अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 228/16-17/अ-74 में पारित आदेश दिनांक 11-4-17 के विरूद्ध पेश् की गई है । 2/ अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी (कैवियटकर्ता) के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिये गये तर्कों पर विचार किया । इस प्रकरण में विवाद वन भूमि एवं राजस्व भूमि सीमा के संबंध में होकर यह है कि क्या ग्राम नयागांव स्थित भूमि सर्वे क्रं0 107, 662 एवं 663 की भूमियां वन भूमि की सीमा में आती हैं या राजस्व भूमि की सीमा में । इस संबंध में कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उन्होंने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते उप वन मंडलाधिकारी, ग्वालियर, तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी, घाटीगांव पदेन वन व्यवस्थापन अधिकारी तथा प्रभारी भू-अभिलेख द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदनों एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं सभी दस्तावेजों के परिशीलन के उपरांत यह पाया है कि ग्राम नयागांव के संवत 1997 वर्ष 1939-40 में रिजर्व फॉरेस्ट लाइन सर्वे नंबरान 51, 52, 57, 61, 67, 72, 83, 84, 87, 102, 103, 107 एवं 663 की सीमाओं से लगी होकर निकली है । कलेक्टर द्वारा म0प्र0 शासन वन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 25/83/2004/10-3 भोपाल दिनांक 15-11-06 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्राम नयागांव के सन् 1939-40 (संवत 1997) में बंदोवस्त के दौरान तैयार किए गए नक्शे में लाल रंग से डाली गई वन राजस्व सीमा लाईन (रिजर्व फोरेस्ट लाइन) को ही सही मान्य किया गया है तथा यह भी पाया है कि राजस्व एवं वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा 1997 में नयागांव के शीट क्रमांक 04 पर नीले रंग की अतिरिक्त राजस्व वन सीमा लाईन डाली गई है जिसे स्थापित करने हेतु वन व्यवस्थापन अधिकारी/कलेक्टर के आदेश नहीं है । उक्त आधार पर उन्होंने नक्शे में पृथक से नीली स्याही से डाली गई लाइन को, विधि विरूद्ध, प्रक्रिया के अनुरूप न होने तथा रकबे में संभावित अंतर न होने से, अनाधिकृत पाया है । कलेक्टर के आदेश की	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	पुष्टि अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश द्वारा की है । अपर आयुक्त ने भी प्रकरण में आये संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए अभिलेख के आधार पर तथा म0प्र0 शासन,राजस्व विभाग मंत्रालय, भोपाल के पत्र क्रमांक 2751/3553/सात-2ए दिनांक 19-11-15 के आधार पर यह पाया गया है कि ग्राम नयागांव पटवारी हल्का नं0 24 के सर्वे नं0 107, 662, 663 की भूमियां शासकीय होकर अभिलेख में पहाड दर्ज होकर राजस्व की भूमियां है, वन भूमि नहीं है । अपने आदेश में अपर आयुक्त ने म0प्र0 शासन वन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 25/83/2004/10-3 भोपाल दिनांक 15-11-06 का भी हवाला दिया गया है, जिसमें राज्य शासन ने ऐसे समस्त प्रकरण जहां पर वन राजस्व भूमि सीमा में विवाद उत्पन्न हो रहा है, संबंधित जिले के कलेक्टर को बंदोवस्त अधिकारी के रूप में भूमि की वैधानिकता के संबंध में आदेश पारित करने के अधिकार प्रदत्त किये गये हैं तथा उनके निर्णय को अंतिम माना गया है । राज्य शासन के उपरोक्त पत्रों के अनुक्रम में अपर आयुक्त द्वारा कलेक्टर द्वारा पारित आदेश को विधिसम्मत मानते हुए अंतिम प्रकृति का माना है, जो अपने स्थान पर उचित होकर विधिसम्मत है । 3/ प्रकरण में प्रत्यर्थी/कैवियटकर्ता द्वारा कैवियट के साथ संलग्न किए गए दस्तावेजों से यह भी स्पष्ट होता है अपर आयुक्त के आदेश के उपरांत वन विभाग के अनुरोध पर कलेक्टर द्वारा वन विभाग एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों का एक संयुक्त दल गठित किया जाकर सीमांकन कराया गया है । सीमांकन दल द्वारा दिनांक 11-9-17 से 15-9-17 तक सीमांकन किया गया है । सीमांकन दल जिसमें तीन राजस्व निरीक्षकों के अतिरिक्त वन परिक्षेत्राधिकारी, ग्वालियर एवं उप वन मंडल अधिकारी शामिल हैं, के द्वारा जो सीमांकन प्रतिवेदन कलेक्टर, भू-अभिलेख जिला ग्वालियर एवं वन संरक्षक, पदेन वन मंडलाधिकारी, सामान्य वन मंडल, ग्वालियर को प्रेषित किया गया है उसमें भी सर्वे नंबर 107, 662 एवं 663 को बंदोवस्त वर्ष 1939-40 की वन सीमा लाइन के बाहर राजस्व क्षेत्र में स्थित होना बताया गया है । प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए यह पाया जाता है कि कलेक्टर द्वारा 1939-40 में डाली गई वन सीमा की लाइन के अतिरिक्त वन विभाग द्वारा डाली गई अतिरिक्त लाइन को अमान्य करने में कोई	

XXXIX(a)BR(H)-11

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - अपील/0456/2019/ग्वालियर/भू0रा0

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है तथा प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों पर विचार के पश्चात सर्वे क्रमांक 107, 662, 663 की भूमि को राजस्व भूमि होने के संबंध में जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, वे अपने स्थान पर उचित एवं न्यायिक हैं । अत: प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के पश्चात तथा राज्य शासन के ऊपर उल्लिखित ज्ञाप दिनांक 15-11-2006 एवं इसके उपरांत दिनांक 03-03-2007 एवं 04-06-2008 को जारी ज्ञापनों द्वारा जहां वन भूमि एवं राजस्व भूमि सीमा का विवाद हो रहा है उनमें भूमि की वैधानिकता के संबंध में आदेश जारी करने का अधिकार केवल कलेक्टर को दिया जाकर उनके निर्णय को अंतिम माना गया है, के प्रकाश में यह पाया जाता है कि कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेशों में प्रथमदृष्टया हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामत: यह अपील ग्राह्यता के स्तर पर ही निरस्त की जाती है । पक्षकार सूचित हों । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	